

किया
धारा 34 डाक 0 A4 मा 040510 /
[अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टता विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक यथा संगत उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से रचित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिम की दशा में अभियुक्त को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 20 स्वा 22 रूपये राजसात किये जायें। रांपत्ति 20 स्वा 22 मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित आयधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपत्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

कर
A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रूपये अदा की जिसकी पावती बुक क 0 6887 रशीद को दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताने गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसरण रजिस्टर हो।

A.K. Gupta
A.K. Gupta

गोगावा